



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 476 राँची, बुधवार,

16 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

2 सितम्बर, 2026

संख्या- 02/नि0सं0-12-53/2014 का.- 5587--श्री मुकेश कुमार (कोटि क्रमांक 211/20) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के तृतीय बैच के पदाधिकारी हैं। इन्होंने दिनांक 12.08.2010 को परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के पद पर योगदान दिया है तथा सम्प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची के पद पर कार्यरत हैं।

2. श्री कुमार तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतना, साहेबगंज के विरुद्ध मनरेगान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में अनियमितता बरतने संबंधी कुल 14 आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 10157, दिनांक 25.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। उपरोक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प सं0 1694, दिनांक 10.04.2019 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर याचिका-W.P.(S) No. 466/2020 में दिनांक 07.01.2021 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प सं0-1694(HRMS), दिनांक 10.04.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड को रद्द कर दिया गया।

-उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग L.P.A. No.89/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 24.01.2022 को पारित न्यायादेश में संबंधित मामले को अनुशासनिक प्राधिकार को वापस करते हुए उस पर नियमानुसार आदेश पारित करने का निदेश दिया गया।

- L.P.A. No. 89/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(C) No. 5840/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.04.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"By the impugned judgment and order, the Division Bench of the High Court has remanded the matter to the Disciplinary Authority. It goes without saying that the Disciplinary Authority shall pass fresh order after following the due procedure as required under law and after following the principle of natural justice. The Special Leave Petition stands dismissed."

अतएव विभागीय संकल्प सं0-1694(HRMS), दिनांक 10.04.2019 द्वारा श्री कुमार को पूर्व में अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड को संशोधित करते हुए विभागीय संकल्प सं0-23694(HRMS), दिनांक 23.08.2023 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री मुकेश कुमार के संबंध में निम्न अनुशंसा की गई थी:-

"विभागीय संकल्प संख्या 1694 दिनांक 10.04.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड दिनांक 30.06.2021 तक प्रभावी रहने के कारण प्रोन्नति के अयोग्य"

5. उपरोक्त दण्ड का प्रभाव समाप्त होने के उपरांत दिनांक 07.11.2022 को मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-8001 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा श्री कुमार को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गयी।

6. विभागीय संकल्प सं0-23694(HRMS), दिनांक 23.08.2023 द्वारा निर्गत उपरोक्त दण्डादेश को निरस्त करने तथा परिणामी लाभ हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 4979/2023 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

“12. In view of the aforesaid findings, the impugned order dated 23.08.2023 (Annexure12), deserves to be, and is hereby, quashed and set aside. The respondents are directed to issue necessary order for consequential benefit which will accrue pursuant to nullifying of the impugned order. The consequential order shall be passed by the concerned respondents within a period of twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

13. Consequently, the instant writ application stands allowed in the manner indicated herein above. Pending I.As., if any also closed.”

7. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 258/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मुकेश कुमार दायर किया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

8. W.P.(S) No. 4979/2023 में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री कुमार के द्वारा Cont. Case (Civil) No. 886/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 22.08.2025 को पारित न्यायादेश में रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन LPA के अंतिम फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ करने अथवा स्थगन आदेश करने का निदेश दिया गया।

9. LPA No. 258/2025 में स्थगत आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण W.P.(S) No. 4979/2023 में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए श्री मुकेश कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-23694, दिनांक 23.08.2023 द्वारा अधिरोपित “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड” को विभागीय संकल्प संख्या 73(HRMS), दिनांक 05.01.2026 द्वारा विलोपित किया गया, जो LPA No. 258/2025 के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा।

10. श्री कुमार के विरुद्ध अधिरोपित उपरोक्त दण्ड को सशर्त रूप से विलोपित कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री कुमार से कनीय श्रीमती सागरी बराल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 212/20) की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की तिथि 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से श्री कुमार को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति विभागीय अधिसूचना सं० 1836 दिनांक 24.03.2026 द्वारा प्रदान की गई है।

11. श्री मुकेश कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-211/20) से कनीय श्री शैलेश कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-214/20) को विभागीय अधिसूचना सं० 6488 दिनांक 04.10.2024 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

12. तदोपरांत Cont. Case (Civil) No. 886/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.04.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है :-

"Pursuant to the order dated 18.03.2026, Mr. Chintu Doraiburu, Joint Secretary, Department of Personnel, Administrative Reform and Rajbhasha, Government of Jharkhand, is present before this Court and submits that though the Letters Patent Appeal has not been heard and is still pending however the opposite parties have complied the order substantially and also given promotion to the petitioner notionally in the rank of SDO but no promotion in the rank of ADM has been granted.

After some argument the State counsel upon instruction submits that they will comply the order passed by the writ Court in true letter and spirit provided that there should be some observation by this Court that if in future the State succeeds in Letters Patent Appeal, the petitioner will come to the original post.

Having regard to the aforesaid submission, the State is directed to comply the order passed by the writ Court in true letter and spirit. It goes without saying that if the State succeeds in Letters Patent Appeal, all the benefits which will be given to the petitioner are subject to the final outcome of Letters Patent Appeal.

List this case on 11.06.2026,"

13. अतः W.P.(S) No. 4979/2023 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (Civil) No. 886/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.04.2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में श्री मुकेश कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-211/20) की प्रोन्नति के संबंध में निम्न निर्णय लिया जाता है-

(i) श्री मुकेश कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-211/20) को विभागीय संकल्प संख्या 1836 दिनांक 24.03.2026 द्वारा दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति का सभी अनुमान्य वित्तीय लाभ दिनांक 24.12.2020 के प्रभाव से अनुमान्य किया जाता है।

(ii) श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से० को उनसे कनीय श्री शैलेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-214/20) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 04.10.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से सभी अनुमान्य वित्तीय लाभ सहित अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600 पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

(iii) श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से० को दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि की प्रोन्नति का वित्तीय लाभ तथा दिनांक 04.10.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि की प्रोन्नति का वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु इनके मामले में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों को क्षान्त किया जाता है।

-यह प्रोन्नति LPA No. 258/2025 मुकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम न्याय निर्णय/फलाफल से प्रभावित होगा।

-इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाएगा।

10. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 5080 दिनांक 05.08.2026 के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 25.08.2026 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या 15 में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
